

फार्म संख्या - २

समाज कल्याण विभाग, उत्तरांचल द्वारा नियम 5, 1983 के अन्तर्गत प्रदेश के गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों एवं शासनादेश संख्या - 4587/26-3-93-4(188) दिनांक 17 दिसम्बर 1993 द्वारा समाज के सभी वर्गों की निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने का आवेदन -पत्र

1. आवेदक का नाम पिता/पति का नाम

2. स्थाई पता ग्राम पट्टी पत्रालय.....

तहसील ब्लॉक का नाम जिला

3. जाति उत्तरांचल में निवास की अवधि

4. उम्र

5. परिवार रजिस्टर की नकल (दोनों परिवार से)

6. समस्त श्रोतों से मासिक आय -

7. जिनकी शादी के लिए आर्थिक सहायता की मांग की गई है उस

दुल्हन का नाम जन्म तिथि (आयु वर्षों में)

दुल्हा का नाम जन्म तिथि (आयु वर्षों में)

दुल्हे के पिता का नाम ग्राम पत्रालय

पट्टी तहसील जिला

8. शादी की निश्चित तिथि -

आवेदक के हस्ताक्षर

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
की संस्तुति

नोट :- क्रम सं 3, 5, 6, की पुष्टि हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।